



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 माघ 1934 (श0)
(सं0 पटना 137) पटना, बृहस्पतिवार, 14 फरवरी 2013

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचना

14 फरवरी 2013

सं0 10/नीति (शुल्क पुन0)-88/2012 (खंड)-1007—बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा-27 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब पर 10.00 (दस) रू0 प्रति एल0पी0एल0 कर अधिरोपित करते हैं।

यह बिहार राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 137-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>